तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/8/24.	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है - प्रार्थी मंदिर ठाकुरजी विराजमान जरिये पुजारी एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 CRAct इस बाबत प्रस्तुत किया गया कि मंदिर ठाकुर जी विराजमान मांदलिया के खाते सेटलमेन्ट से पूर्व आराजी ख.नं.321 रकबा 8 बीघा मिलन थी, जिसके बाद सेटलमेन्ट नये ख.नं.676 रकबा 1.28 Hect बने। तथा ग्राम मांदलिया में ही मंदिर बालाजी के खाते सेटलमेन्ट से पूर्व आराजी ख.नं. 71,72,73 कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा मिलन थी। जिसके बाद सेटलमेन्ट नये ख.नं. 128,129, 137,137,138 कुल 2.36 कायम किये गए। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मंदिर ठाकुरजी की आराजी पुराना ख.नं. 321 रकबा 8 बीघा का नया खसरा नं. 676 रकबा 1.28 Hect कायम किया गया तथा इसे मंदिर बालाजी की आराजी में शामिल कर दिया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि बाद सेटलमेन्ट किये गए गलत	

उपखण्ड अधिकारी
को..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	इन्द्राजों को दुरुस्त किया जावे तथा दोनों मंदिरों के नाम दर्ज भूमि को पृथक-पृथक दर्ज किया जावे। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर रिपोर्ट तहसीलदार कोटपुरा से जवाब प्राप्त किया गया, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार कोटपुरा द्वारा अपने जवाब प्रार्थनापत्र में प्रार्थी द्वारा वर्णित सेटलमेन्ट पूर्व व पश्चात की प्रविष्टियों को स्वीकार किया गया है। तथा अंकित किया गया है कि वर्तमान खाते 123 से ख.नं. 676 रकबा 1.26 Hct को अलग कर मंदिर श्री ठाकुर जी विराजमान मांदलिया बनाया जाना उचित होगा तथा खाता सं 123 के शेष ख.नं. 128/0.26, 129/0.52, 134/0.24, 137/0.02, 138/0.04 कुल किता 5 रकबा 1.08 Hct मंदिर श्री बालाजी विराजमान किया जाना उचित होगा। इस प्रकार दोनों

उपखण्ड अधिकारी
को..

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
मंदिरों की आराजी अलग-2 दर्ज हो सकेगी। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, सेटलमेन्ट पूर्व व पश्चात् की जमाबन्दी व तहसीलदार लाडपुरा के जवाब प्रार्थना पत्र का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। समस्त दस्तावेजों से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि सेटलमेन्ट पूर्व दोनों मंदिरों की भूमि पृथक-पृथक दर्ज थी लेकिन भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट दोनों मंदिरों की भूमि का एक ही खाता बना दिया गया। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा भी उक्त तथ्य को स्वीकार किया गया है। उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मांडलिया में स्थित खाता	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	मंदिर बालाजी विराजमान के ख. में ख.नं. 128/0.26, 129/0.52, 134/0.24, 137/0.02, 138/0.04 कुल किता 5 रकबा 1.08 हैक्ट. दर्ज किया जावे तथा मंदिर श्री ठाकुर जी विराजमान मांदलिया के नाम नवीन खाता बनाकर ख.नं. 676 रकबा 1.26 हैक्ट. मंदिर श्री ठाकुर जी विराजमान मांदलिया के नाम दर्ज किया जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 23/8/24 उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★